न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 18/2015

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल राजेन्द्र पुत्र भौरीलाल जाति महावर निवासी पूर्विया मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल राजेन्द्र पुत्र भौरीलाल बावजूद तामील अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–27.05.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल राजेन्द्र पुत्र भौरीलाल जाति महावर निवासी पूर्विया मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा के विरूद्ध निम्नलिखित मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुये है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	तारीख रजु	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	निर्णय अदालत
1.	कोतवाली दौसा	319/05	02.05.05	13 आरपीजीओ	154/05	12.05.05	सजा 30.07.05
2.	कोतवाली दौसा	767/07	16.10.07	13 आरपीजीओ	389/07	22.10.07	सजा 30.10.07 100 रूपये
3.	कोतवाली दौसा	444/10	09.06.2010	13 आरपीजीओ	185/10	21.06.10	सजा 28.09.10 450 रूपये
4.	कोतवाली दौसा	655/12	19.12.2012	13 आरपीजीओ	264/12	21.12.12	सजा 22.12.12 200 रूपये
5.	कोतवाली दौसा	121/13	26.02.2013	13 आरपीजीओ	28/2013	28.02.13	सजा 21.03.13 100 रूपये

उक्त शख्स पुत्र राजेन्द्र पुत्र भौरीलाल जाति महावर निवासी पूर्विया मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा जुआं सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है, जिस कारण इलाके के लोगो की सम्पत्तियों को नुकसान हो रहा है। गैर सायल राजेन्द्र पुत्र भौरीलाल महावर का जुआं सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगों को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व इलाके में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील गैर सायल को बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी गैर सायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर ना तो जवाब प्रस्तुत किया ना ही बहस हेतु गैर सायल उपस्थित आया। गैर सायल के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक दौसा से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.06.07 18:09:26 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना कोतवाली जिला दौसा में जुएं सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के पांच प्रकरण दर्ज हुए है, जिसमे गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुएं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल इलाके के अन्य लोगो को भी जुएं सट्टे के दुष्प्रेरण में लगा रहा है, जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। उक्त शख्स के खिलाफ छोटी मोटी वारदात की रिपोर्ट देने से व गवाही देने से भी लोग डरते है। गैर सायल को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किये जाने के उपरान्त भी गैर सायल द्वारा न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया ना ही गैर सायल की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित हुआ। गैर सायल बार–बार जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। अतः गैर सायल राजेन्द्र पुत्र भौरीलाल जाति महावर निवासी पूर्विया मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

लोक अभियोजक की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के पांच प्रकरण दर्ज है, जिनमें गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। गैर सायल द्वारा दिनांक 26.02.2013 के बाद किये गये अपराधों के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण संख्या 134/2018 दिनांक 20.03.2018 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पेश हुआ है, जिसमे दिनांक 13.04.2018 को गैर सायल द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है। इस प्रकार गैर सायल बार–बार जुर्म करने का आदि है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल राजेन्द्र पुत्र भौरीलाल जाति महावर निवासी पूर्विया मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। दौसा जिले जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुंआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल राजेन्द्र पुत्र भौरीलाल जाति महावर निवासी पूर्विया मौहल्ला दौसा थाना कोतवाली जिला दौसा को दिनांक 29.05.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल लालसोट के रास्ते होते हुए थाना सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना सवाईमाधोपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में थाना क्षेत्र सवाईमाधोपुर में निवास करते हुए प्रत्येक शुक्रवार को थाना अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं सवाईमाधोपुर को उक्त आदेश की पालना करवाने हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.06.07 18:09:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा